राजस्थान सरकार

Azadi ka Amrit Mahotsav

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2025/374 दिनांक :- 01/04/2025

ले आउट प्लान समिति की बैठक कार्यवाही विवरण

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमाक पं. 3(90)नविवि3/2012 जयपुर दिनांक 21.06.2012 के बिन्दु सं. 32 द्वारा न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 01/5/2025... को सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. श्री अशोक कुमार असीजा, सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
2. श्री सुरेन्द्र पुनियां, अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।
3. श्री अमित कुमार, सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

बैठक में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत प्राप्त प्रकरणों में ले आउट प्लान/साईट प्लान के अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है :-

एजेंडा संख्या :- 01

क्र.स.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
	आवेदन सं.	LU2012/SGN/2024-25/101282
1	आवेदक का नाम व पता	श्री वरूण गोयल पुत्र श्री चन्द्र गोयल निवासी मकान नं. 46 वृन्दावन विहार, श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण	चक 4 ए छोटी मुरब्बा नं. 29 के किला नं. 6/2 में 0.0214 हैक्टे. किला नं. 7/1 में 0.1763 हैक्टे. किला नं. 8/1 में 0.1549 हैक्टे. किला नं. 13/2 में 0.2223 हैक्टे. किला नं. 14 में 0.253 हैक्टे. किला नं. 15/1 में 0.0307 हैक्टे किला नं. 16/2 में 0.0307 हैक्टे. किला नं. 17 में 0.253 हैक्टे. किला नं. 18/1 में 0.2223 हैक्टे. किला नं. 23/2 में 0.2223 हैक्टे. किला नं. 24 में 0.253 हैक्टे. किला नं. 25/1 में 0.0307 हैक्टे. यथाकुल 1.8706 हैक्टेयर
3	भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान अनुसार	आवासीय प्रयोजनार्थ
4	आवेदन अनुसार चाहा गया प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ
5	मास्टर प्लान/सैक्टर प्लान अनुसार पहुँच मार्ग की स्थिति एवं मौके पर विद्यमान पहुँच मार्ग की चौड़ाई	आवेदित भूमि को दक्षिण दिशा में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट चौडी सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है।
6	आवेदित भूमि का मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के	संलग्न साईट प्लान अनुसार आवेदित भूमि का भाग मास्टर प्लान सड़क के अन्तर्गत 50 गुणा 330'-0'' फीट आता है।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,

अधिशाषी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,

सचिव
नगर विकास न्यास,

राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

Azadi Ka Amrit Mahotsav

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

हा सं.07

क्र.स.	प्रकरण	प्रकरण के संबंध में विवरण
	आवेदन सं.	LU2012/SGN/2024-25/101268
1	आवेदक का नाम व पता	श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी 1-सी-14 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर
2	भूमि का विवरण	चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 1/1 में 0.2377 है., किला नं. 2/2 में 0.2070 है. किला नं. 9/2 में 0. 2070 है., किला नं. 10/1 में 0.2377 है., किला नं. 11/1 में। 0.2377 है. किला नं. 12/1 में 0.2070 है. यथाकुल 1. 3341 हैक्टेयर
3	भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान अनुसार	आवासीय प्रयोजनार्थ
4	आवेदन अनुसार चाहा गया प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ
5	मास्टर प्लान/सैक्टर प्लान अनुसार पहुँच मार्ग की स्थिति एवं मौके पर विद्यमान पहुँच मार्ग की चौड़ाई	आवेदित भूमि को दक्षिण दिशा में पूर्व में स्वीकृत योजना की 50 फीट प्रस्तावित सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है। आवेदक द्वारा पूर्व में स्वीकृत योजना के खातेदार/विकासकर्ता से आवागमन हेतु सहमति पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किये है।
6	आवेदित भूमि का मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अन्तर्गत आने वाली भूमि का विवरण	संलग्न साईट प्लान अनुसार आवेदित भूमि का भाग मास्टर प्लान सड़क के अन्तर्गत नही आता है।
7	राजस्थान भू-राजस्व अधि. 1956 की धारा 90-क	प्रस्तावित भूमि का 90 ए आवेदन क्रमांक LU2012/SGN/2024-25/101268 दिनांक 01.03.2025 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित है।
8	तकनिकी परिक्षण का आधार एवं सक्षमता	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि)/2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां के बिंदु संख्या 5 के अनुसार कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण/आवंटन/नियमन हेतु विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां में उल्लेखित अनुज्ञेय उपयोगों/गतिविधियों के लिये निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण उपरांत निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर 90-ए व तत्संबंधित कार्यवाही की जा सकेगी।

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियन्ता
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार
Azadi Ka Amrit Mahotsav

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

आवेदित भूमि के तकनिकी परिक्षण के अनुसार तकनिकी मानदण्ड

1. प्रकरण में आवेदित भूखण्ड का प्रयोजन मास्टर प्लान 2017-2035 एवं जोनल प्लान के अनुरुप आवासीय प्रयोजनार्थ है।
2. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं विभागीय आदेश दिनांक 10.08.2020 के अनुसार 2 हैक्टेयर तक आवासीय योजना हेतु पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार न्यूनतम 12 मीटर/40 फीट निर्धारित है। आवेदित भूमि को दक्षिण दिशा में पूर्व में स्वीकृत योजना की 50 फीट प्रस्तावित सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है। आवेदक द्वारा पूर्व में स्वीकृत योजना के खातेदार/विकासकर्ता से आवागमन हेतु सहमति पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किये है।
3. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में संचालित 16'-6'' फीट चौडे राजस्व रास्ते का भविष्य में विभागीय आदेश दिनांक 10.08.2020 अनुसार निर्धारण किया जाता है तो आवेदित लेआउट प्लान के पश्चिम दिशा में दर्शित 60 फीट चौडी सड़क का भाग निर्धारित किये जाने वाले रास्ते में शामिल किया जावेगा।
4. योजना के राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार प्रस्तावित ले आउट प्लान में भूमि का वर्गीकरण निम्नानूसार है:-

प्रयोजन	AREA (वर्गफीट)	प्रतिशत
आवासीय	79020.00	55.05 %
इन्फोरमल	2880.00	2.01%
सड़क	61650.00	42.94 %
कुल	143550.00	100.00%

निर्णय :- उपरोक्तानुसार तकनिकी मानदण्ड पूर्ण होने पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए के तहत आवेदित प्रकरण में निम्न शर्तो के अधीन आवासीय प्रयोजनार्थ लेआउट प्लान ए बी सी डी का अनुमोदन किया जाता है।

1. स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊंचाई आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
2. भवन विनियम 2020 के बिन्दु सं. 113.2 अनुसार सड़क पर सुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) हेतु योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा। जिसकी सुनिश्चिता निर्माण स्वीकृति के दोरान की जानी होगी।
3. योजना में स्वीकृत इन्फोरमल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020 विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।

सहायक नगर नियोजक	अधिशाषी अभियन्ता	सचिव
नगर विकास न्यास,	नगर विकास न्यास,	नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Azadi Ka Amrit Mahotsav

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

योजना की समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र न्यास में निहित होगा।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान व नोटिफिकेशन दिनांक 03.04.2017 में वर्णनानुसार 2 हैक्टेयर तक की प्लोटेड डवलमेन्ट योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु विकासकर्ता से आवासीय आरक्षित दर से गणना कर राशि लिये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त प्रावधान एवं समय-समय पर जारी विभागीय आदेशों की पालना सुनिश्चिता की जानी होगी।

6. योजना/स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य यया सड़कें, नालियां, विद्युत व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट, पार्क होर्टिकल्चर, सीवरेज एवं पेयजल आदि टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के समस्त प्रावधानों की सुनिश्चितता आवेदक द्वारा की जानी होगी।

7. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 30.12.2024 की पालना में उक्त योजना का रेरा में पंजीकरण के उपरान्त ही आवेदक द्वारा पट्टे हेतु आवेदन किया जावेगा। रेरा में पंजीकरण नही होने पर न्यास द्वारा उक्त योजना में पट्टा जारी नही किया जावेगां।

8. प्रश्नगत भूमि एवं योजना के आसपास अनुमोदित योजना की स्वीकृत सडकों का प्रश्नगत योजना की सड़को के साथ यथासंभव मिलान किया जाना होगा।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियोजन/2025/ दिनांक :-

प्रमाण-पत्र

खातेदार/विकासकर्ता श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी 1-सी-14 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा चक 3 ए छोटी मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 1/1 में 0.2377 है., किला नं. 2/2 में 0.2070 है. किला नं. 9/2 में 0.2070 है., किला नं. 10/1 में 0.2377 है., किला नं. 11/1 में 0.2377 है. किला नं. 12/1 में 0.2070 है. यथाकुल 1.3341 हैक्टेयर भूमि का 90 ए आवेदन क्रमांक LU2012/SGN/2024-25/101268 दिनांक 01.03.2025 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित भूमि के दिनांक 23.04.2025 द्वारा 90-ए आदेश जारी है। उक्त भूमि का ले आउट प्लान नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (8) नविवि)/2020 दिनांक 14.10.2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां के बिंदु संख्या 5 के अनुसार कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण/आवंटन/नियमन हेतु विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां में उल्लेखित अनुज्ञेय उपयोगों/गतिविधियों के लिये निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण उपरांत निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर 90-ए व तत्संबंधित कार्यवाही किये जाने के क्रम में न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 01.04.2025 के कार्यवाही विवरण नियोजन/2025/374 दिनांक 01.04.2025 के एजेण्डा संख्या 07 द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित है। खातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवासीय योजना का नाम **Ridhi Sidhi Enclave-9 Sector-1 Extension-3** रखा गया है।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार न्यास द्वारा (**जारी मॉग पत्र क्रमांक ऑनलाईन राजकाज रैफ 14636512 दिनांक** 07.04.2025 में अंकित राशि) अनुसार आवेदित भूमि के बाह्य विकास शुल्क की राशि **13,34,100/-** रूपये में से 20 प्रतिशत की छूट की राशि **2,66,820/-** रूपये कम करते हुए शेष राशि **10,67,280/-** रूपये, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार डीएलसी दर से राशि **12,55,898/-** रूपये एवं बीएसयूपी शैल्टर फण्ड राशि **1,90,288/-** रूपये यथाकुल राशि **25,13,466/-** रूपये जरिये रसीद संख्या 27/1724 दिनांक 15.04.2025 द्वारा न्यास कोष में जमा है।

खातेदारान द्वारा योजना के आन्तरिक समस्त विकास कार्य नियत समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुद्धा भूखण्ड **{Resi. C-6, C-7, C-8, C-9, C-10 Each Size 40'-0" X 60'-0" Feet, Informal Size 48'-0" X 60'-0" Feet, Total 05 Resi. Plots & 01 Informal}** न्यास द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स/खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स/खातेदार/विकासकर्ता श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री विनोद **कुमार निवासी 1-सी-14 जवाहरनगर**, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग और मौका निरीक्षण समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्न शर्तो के साथ प्रमाण-पत्र जारी किया जाता हैं :-

1. स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य यथा सड़कों का निर्माण कार्य, जल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, पोल एवं स्ट्रीट लाईटें, सड़कों किनारें होर्टिकल्चर/पौधारोपण इत्यादि मूलभूत सुविधायें कॉलोनाईर्स/खातेदार को स्वयं के खर्चे पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होगें। न्यास उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
2. शेष सभी विकास कार्य ऑवर हैड वाटर टैंक निर्माण, वर्षा जल निकासी हेतु नालियां, ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था स्वयं खातेदार/कॉलोनाईजर्स के स्तर पर करवाया जावेगा तथा इन कार्यो के विरूद्ध न्यास से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी।

Signature valid
Digitally signed by A[illegible]k Kumar Aseeja
Designation : [illegible]ary
Date: 2025.04.[illegible] [illegible]3:57:04 IST
Reason: Approved

ATP/ PAGE251

RajKaj Ref No.: 15002981

राजस्थान सरकार
Azadi ka Amrit Mahotsav
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

3. योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में न्यास द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों अथवा रहन अन्तिम भूखण्ड को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगे। इस बाबत खातेदार/कॉलोनाईजर माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उजर प्रस्तुत नहीं करेगा/करेंगें।
4. स्वीकृत ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के वर्गीकरण के आधार पर सैट बैक्स, ऊँचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम 2020 की तालिका अनुसार देय होगा। नोट :- योजना के कॉर्नर के भूखण्डों पर नियमानुसार गोलाई (रेडियस) छोड़कर ही निर्माण किया जावेगा।
5. आवेदित भूमि का मास्टर प्लान वर्ष 2017-2035 एवं जोनल प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग आवासीय हेतु आरक्षित है।
6. आवेदित भूमि को दक्षिण दिशा में पूर्व में स्वीकृत योजना की 50 फीट प्रस्तावित सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त है। 50 फीट चौड़ी सड़क के अलाईन्मेंट की निरन्तरता में पहुॅच मार्ग एवं आवागमन के संबंध में संबंधित खातेदारान का आपसी विरोध नहीं है तथा आवागमन हेतु सहमति है। सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/आवेदक/खातेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत न्यास से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की माँग नहीं करेंगें इस हेतु आप बाध्य रहेंगें।
7. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में संचालित 16'-6'' फीट चौड़े राजस्व रास्ते का भविष्य में विभागीय आदेश दिनांक 10.08.2020 अनुसार निर्धारण किया जाता है तो आवेदित लेआउट प्लान के पश्चिम दिशा में दर्शित 60 फीट चौडी सड़क का भाग निर्धारित किये जाने वाले रास्ते में शामिल किया जावेगा।
8. योजना में स्वीकृत **Informal Size 48'-0" X 60'-0" Feet (Total 2880 Sq. Feet)** एवं स्वीकृत इन्फोरमल भूखण्ड में भविष्य की आवश्यकतानुसार दुकानें प्रस्तावित की जाती है तो विभागीय आदेशानुसार आवंटन/बैचान/निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.05.2020/विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2020 के अनुसार/दिनांक 20.02.2023 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश अनुसार किया जाना होगा।
9. अनुमोदित योजना मानचित्र में सड़क हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार न्यास को समर्पित की है। आवेदित भूमि में स्वीकृत सड़क हेतु आरक्षित भूखण्ड का उपयोग जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटि) हेतु किया जाएगा एवं उक्त भूखण्ड का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों एवं न्यास स्तर पर जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा।
10. योजना की समस्त सड़कें न्यास में निहित होगी एवं योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा एवं योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा सरंक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाईट का उपयोग किया जावेगा।
11. योजना के आन्तरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि 18 माह (निर्धारित समयावधि) में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार न्यास स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।
12. टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क न्यास कोष में जमा करवाने होगें।
13. योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट-IV जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशिंप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगें।

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.04.30 13:57:04 IST
Reason: Approved

ATP/ PAGE252

ajKaj Ref No.: 15002981

राजस्थान सरकार
कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com
Office Address :- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

14. राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स् 2017 के तहत पंजीयन करवाया जावेगा एवं राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 4(1)आरजे/रेरा/2017/पार्ट/467 दिनांक 14.03.2023 की पालना विकासकर्ता/खातेदार द्वारा की जानी होगी एवं योजना का रैरा में रजिस्ट्रेशन के पश्चात् ही विकासकर्ता/खातेदार द्वारा पट्टे हेतु आवेदन किया जायेगा। पंजीयंन नहीं होने पर न्यास द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जायेगा।
15. **नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 30.12.2024 की पालना में उक्त योजना का रेरा में पंजीकरण के उपरान्त ही आवेदक/खातेदार द्वारा नियमानुसार पट्टे हेतु आवेदन किया जावेगा। रेरा में पंजीकरण नही होने पर न्यास द्वारा उक्त योजना में पट्टा जारी नही किया जावेगा।**
16. योजना में निर्माण कार्य से संबंधित लैबर सैस शुल्क विकासकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर पर श्रम विभाग को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक का होगा। योजना के संबंध में किसी भी विभाग से कोई देयता बनती है तो देय राशि जमा करवाये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक स्वयं का होगा।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

उपरोक्त पेज संख्या 1, 2, 3 अनुसार अंकित समस्त शर्ते मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई है, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्ते मुझे/हमे मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।

(सहमती/हस्ताक्षर प्रार्थी/खातेदार)
दिनांक :-

क्रमांक :- नियोजन/2025/
प्रतिलिपि :-
1. खातेदार/विकासकर्ता **श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी 1-सी-14 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर (राज.)।**
2. नियमन शाखा न्यास, श्रीगंगानगर को उक्त रहन रखे गये भूखण्डों का रूपान्तरण नहीं करने एवं रहन रखे गये भूखण्डों तथा उक्त योजना में नियमन किये गये भूखण्डों का अलग से रजिस्टर सम्पूर्ण विवरण सहित संधारित करने बाबत।

सचिव
नगर विकास न्यास,
श्रीगंगानगर

Signature valid
Digitally signed by Ashok Kumar Aseeja
Designation : Secretary
Date: 2025.04.30 13:57:04 IST
Reason: Approved

ATP/ PAGE253

RajKaj Ref No.: 15002981

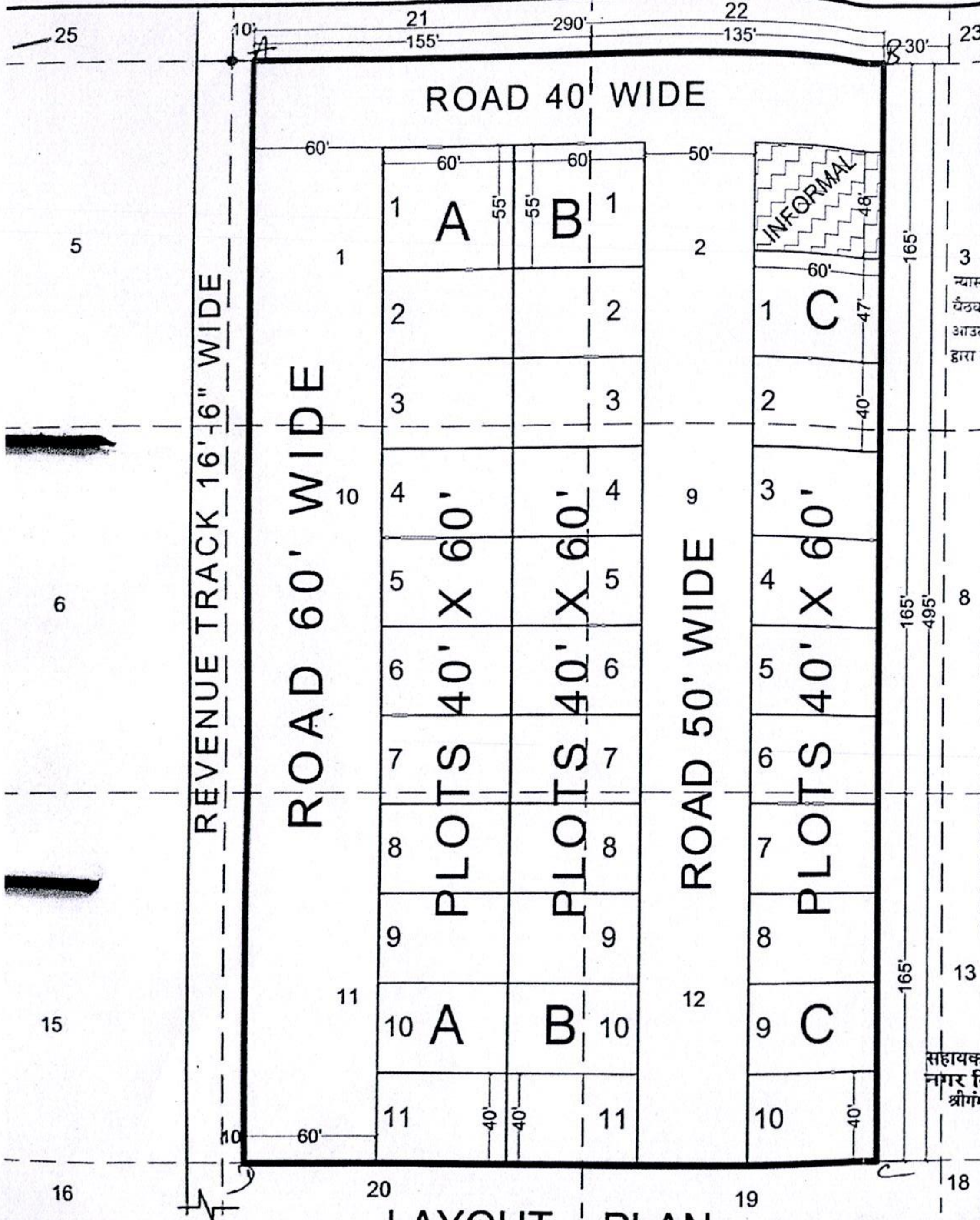

न्यास स्तर पर गठित ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 21/04/25...में साईट प्लान/ले आउट प्लान प्रस्ताव [illegible] दिनांक 01/04/25 द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित किया गया।

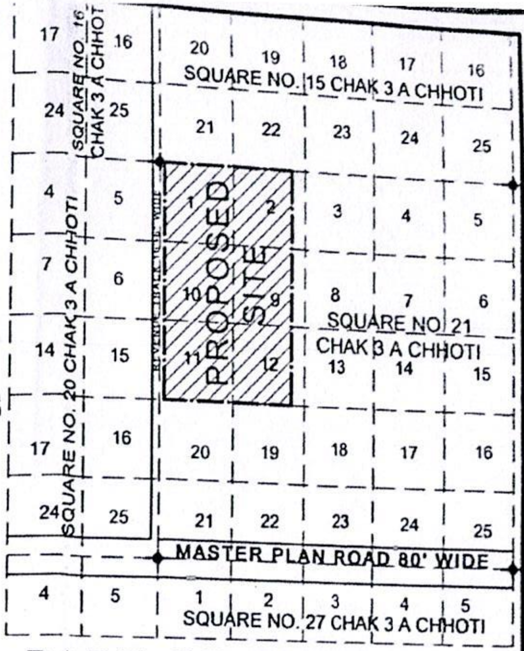

PART OF CHAK PLAN

REFERENCE :-

1. JAMABANDI AREA SHOWN THUS :-
2. KILLA LINE SHOWN THUS :-
3. SQUARE POINT SHOWN THUS :-
4. JAMBANDI AREA :- 143550.00 Sq.Ft. OR 1.3341 Hect.
5. SCALE 1" = 50'
6. OWNER :-

LAND USE ANALYSIS :-

TOTAL LAND 143550.00 Sq. Ft.

S. NO.	PARTICULAR	AREA IN Sq.ft.	%TAGE
1	RESIDENTIAL	79020.00 Sq.ft.	55.05 %
2	INFORMAL	2880.00 Sq.ft.	2.01 %
3	ROAD	61650.00 Sq.ft.	42.94 %
	TOTAL	143550.00 Sq.Ft.	100.00 %

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

अधिशाषी अभियन्ता
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

सचिव
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर (राज.)

LAYOUT PLAN OF KILLA NO. 1,2,9 TO 12 (EACH PART) SQUARE NO. 21 CHAK 3 A CHHOTI AT Teh. & Dist. SRI GANGANAGAR (RAJ.)

LAYOUT - PLAN